BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 25th December 2013 | No. 14

ट्रिपल 'बी' फोरम की बैठक

बैठक में उपस्थित (बाँयें से दाँये) श्री अरूण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, बी.आई.ए., श्री राकेश शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, एस.बी.आई., श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं श्री एन. आर. परमार, महाप्रबंधक, एस.बी.आई.।

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बी.आइ.ए. के साथ मिलकर ट्रिपल 'बी' फोरम का गठन किया गया है। इस फोरम का उद्देश्य बिहार के उद्योग एवं व्यापार को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होने वाली समस्याओं को दूर करना है।

इस फोरम की बैठक प्रत्येक 2 माह पर आयोजित होगी। फोरम की प्रथम बैठक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होटल मौर्या में दिनांक 7 दिसम्बर 2013 को संध्या 7 बजे आयोजित हुई। फोरम की अगली बैठक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा फरवरी 2014 में प्रस्तावित है।

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री राकेश शर्मा ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इस बैठक में श्री आर० के० केडिया, राधाकृष्ण इम्पैक्स प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर, श्री पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य परिषद, छपरा एवं श्री गोपाल खेतड़ीवाल, भूरामल केशरदेव, भागलपुर के द्वारा समर्पित सुझावों/ समस्याओं के साथ अन्य विभिन्न समस्याओं को रखा और इस पर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया।

इस अवसर पर श्री एन० आर० परमार, महाप्रबंधक-1, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सदस्यों को बताया कि किसी भी तरह की शिकायत होने पर मोबाईल संख्या-8008202020 पर "UNHAPPY" लिख कर SMS करें। SMS करने पर इसकी तुरंत कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा होती है ।

इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष के अतिरिक्त चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा फोरम के सदस्य के रूप में उपस्थित थे।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

विशाल दर्द–निवारक नि:शुल्क शिविर का आयोजन

शिविर में एक महिला का इलाज करते डा० दिदार सिंह नागी। साथ में खड़े हैं आचार्य किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, अग्रसेन सेवा न्यास, बिहार प्रान्तीय अग्रवाल सम्मेलन, मिथिलांचल इण्डस्ट्रियल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं पेरागोन मास, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में अग्रसेन भवन, शक्तिधाम, अग्रसेन मार्ग (बैंक रोड), पटना में दिनांक 14-12-2013 से 16-12-2013 तक के लिए तीन दिवसीय विशाल दर्द-निवारक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उदघाटन आचार्य किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डा० एस० एस० झा, निदेशक, महावीर वात्सल्य अस्पताल, पटना एवं डा० एच० एन० बजाज, मैक्स अस्पताल, दिल्ली थे। इस समारोह की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

इस अवसर पर आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि इस न्युरोथेरेपी पद्धति से अगर कुछ मरीजों को भी लाभ होता है तो आयोजकों का प्रयास सार्थक होगा। उन्होंने समाजिक संगठनों द्वारा इस प्रकार के आयोजित शिविर की सराहना की। डा० एस० एस० झा ने कहा कि यह शिविर मरीजों के लिए लाभप्रद हो, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर स्वयं तथा दूसरी संस्थाओं के सहयोग से भी इस प्रकार का आयोजन करते रहा है जिससे लोगों को नि: शुल्क लाभ प्राप्त हो सके।

बिहार प्रान्तीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अमर कुमार अग्रवाल ने कहा कि अग्रसेन सेवा न्यास सदैव ही जनसेवा के हितार्थ इस प्रकार का आयोजन करता रहा है और भविष्य मे भी इस प्रकार का आयोजन करता रहेगा।

शिविर के उद्घाटन के अवसर पर डा० दिदार सिंह नागी, न्युरोथेरेपिस्ट, मुम्बई, संतोष कुमार पंसारी, अध्यक्ष, मिथिलांचल इण्डस्ट्रियल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ओमप्रकाश टिबरेवाल, अक्षय अग्रवाल, प्रदीप पंसारी, शशि मोहन, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, अनिल साहु एवं सांवल राम डूलिया ने काफी सक्रिय भूमिका निभायी।

तीन दिनों तक चले इस विशाल दर्द-निवारक शिविर में काफी संख्या में घुटना, कमर, गर्दन एवं एड़ी के दर्द पीड़ितों का इलाज न्यूरोथेरेपी पद्धति से मुम्बई के प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डा० दिदार सिंह नागी ने अपने टीम के साथ किया।

ढाई लाख व्यापारियों को मिलेगी राहत

राज्य के 2.5 लाख व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। वाणिज्य कर विभाग ने रोड परमिट डी-VIII की राशि 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिये हैं। लेकिन विभाग ने व्यापारियों के सामने एक शर्त रख दी है। रोड परमिट डी-VIII में एक लाख रुपये की सुविधा उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम से बिलिंग करेंगे। जो व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलिंग नहीं करेंगे, वैसे व्यापारियों को 75 हजार रुपये तक की छूट दी जायेगी। वाणिज्य कर विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। नई प्रणाली 2 दिसंबर के प्रभावी हो गयी है।

क्या कहते हैं व्यापारी : कुछ व्यापारी राज्य सरकार के इस निर्णय से पूरी तरह से संतुष्ट नही हैं। उनका मानना है कि राशि को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख करनी चाहिए।

सुविधा बढ़ी **नई प्रणाली 2 दिसंबर से प्रभावी**

पेनाल्टी का प्रावधान : विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसपर कार्रवाई के साथ-साथ टैक्स की तिगुनी पेनाल्टी लगेगी। ऐसी स्थिति में विभाग ने राज्य के सभी व्यापारियों को निर्देश दिया है कि वे एक लाख से अधिक के सामान पर रोड परमिट जरूर लेकर चलें। वैसे व्यापारी, जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम से बिलिंग नहीं कर पर रहे हैं वे 75 हजार से अधिक के सामान पर ही परमिट लेकर काम करें।

लोगों को हो सकती है परेशानी : विभाग का जो नया नियम लागू हुआ है, वह केवल व्यापारियों के लिए ही नहीं है, आम लोगों पर भी लागू होगा। विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक लाख से अधिक का सामान अपने घर ले जाते पकड़ा जाता है, तो नियमानुसार उसे परमिट लेना अनिवार्य है, लेकिन विभाग के अधिकारी द्वारा पूरी कोशिश रहेगी कि घर ले जाने वाले सामान पर कार्रवाई न करे। बशर्ते विभाग को यह विश्वास हो जाये कि वह सामान घर के लिए जा रहा है।

तैयार किया जा रहा नया सॉफ्टवेयर

"डी-VIII परमिट के लिए जो नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उससे मुख्य रूप से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वैट नियामानुसार छोटे व्यापारियों का अधिक से अधिक काम इसके माध्यम से ही हो जाए।"

–पी.के.अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

(साभार : हिन्दुस्तान 6.12.2013)

सर्विस लेन नहीं होने पर टैक्स वसूली न्यायोचित नहीं

टोल टैक्स वसूली पर रोक

पटना-बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर फिलहाल टोल टैक्स नहीं लगेगा। पटना हाईकोर्ट ने टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि जब तक सर्विस लेन बनाकर चालू नहीं कर दिया जाता, तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं होगी।

न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की एकलपीठ ने एक अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके पूर्व अदालत को बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। लेकिन फतुहा के पास टोल प्लाजा बनाकर इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टोल टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि फतुहा से पटना एवं पटना से फतुहा जाने वाले स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूलने का कार्यक्रम है। उनका कहना था स्थानीय लोगों से टोल की वसूली नहीं होनी चाहिए। टोल टैक्स की वसूली उनसे की जानी चाहिए जो इस सड़क का इस्तेमाल कम करते हैं।

वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 14 हजार करोड़ रूपए का खर्च इस परियोजना पर होना है। पब्लिक की सहूलियत के लिए राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर टोल टैक्स लगाना जायज है। उनका कहना था कि टोल प्लाजा से 20 कि.मी. की दूरी पर रहने वाले लोग 200 रुपए प्रतिमाह देकर इस राजमार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कहना था कि यह राशि वैसे वाहनों पर लगेगी जो व्यावसायिक कार्यों में नहीं लगा हो।

अदालत ने कहा कि टोल टैक्स सभी जगह नहीं लगाया जाता। टोल टैक्स का मतलब है कि परियोजना पर खर्च की गई राशि का क्षतिपूर्ति करना। कोर्ट का कहना था कि इस मार्ग पर टोल टैक्स लगा देने से स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानियों से कोई वाकिफ नहीं है। अदालत ने कहा कि कोर्ट टोल टैक्स लगाने से किसी को मना नहीं कर रहा है लेकिन स्थानीय लोगों की समस्या को ध्यान में रखना अतिआवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए सविंस लेन बनाए बिना टोल टैक्स की वसूली करना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने सर्विस लेन बन जाने व उसे चालू होने तक टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाते हुए सभी को शपथ-पत्र दायर करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई दो माह के बाद करने का आदेश दिया।

(साभार : हिन्दुस्तान 7.12.2013)

सरकार ट्रक लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाए

बिहार होकर यूपी जाने वाले ट्रकों को लूट लिया जा रहा है। गोपालागंज के जलालपुर चेकपोस्ट को पार करते ही डुमरिया घाट, कोब्बा, पीपराकोठी, पिपरा, चकिया, मोतीपुर, कांटी क्षेत्र में ट्रक लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। कीमती सामान से लदे ट्रक को गायब कर दिया जाता है। **(साभार : हिन्दुस्तान 7.12.2013)**

पहली जनवरी से स्वीकार नहीं होंगे लिखावट में काट-छांट किए गए चेक : रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के. सी. चक्रवती ने कहा कि लोगों को नोटों पर कुछ नहीं लिखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मगर यह अफवाह गलत है कि पहली जनवरी से बैंक उन नोटों को स्वीकार नहीं करेंगे, जिन पर कुछ लिखा होगा। हालांकि यह जरूर है कि पहली जनवरी से लिखावट में काट छांट की गई होने पर चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे और यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।

चक्रवती ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी कोशिश लोगों में यह जागरूकता पैदा करने की है कि वे नोटों पर कुछ न लिखें और उन्हें साफ सुथरा रखें। उन्होंने इसी क्रम में कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अब यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई बैक कर्मी अपने सामने किसी नोट पर किसी को कुछ लिखते देखता है तो वह उस नोट को लेने से अस्वीकार कर सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि वह व्यक्ति दोबारा ऐसी गलती न करे।

उन्होंने कहा कि पहली जनवरी से लिखावट में काट-छांट होने पर चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे और यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। बैंक कर्मियों और खासतौर से खजांची को भी सख्त हिदायत दी जा रहा है कि वे नोट पर नहीं लिखें। देश में प्लास्टिक के नोट चलाए जाने के बारे में सवाल पर चक्रवती ने कहा कि पहले ये नोट प्रयोग के तौर पर चलाए जाएंगे और अगर यह कामयाब रहा तो इसे पूरे देश में चलाया जाएगा। इसमें दो-तीन का समय लग सकता है। **(साभार : जनसता, 1.12.2013)**

RBI की क्लीन नोट पर पॉलिसी

> "संस्था की ओर से पब्लिक को बताया जा रहा है कि नोट पर कुछ भी नहीं लिखें। आने वाले दिनों में इससे उनका नुकसान होगा। नोट कहीं चल नहीं सकेगा। पम्फलेट आदि के साथ नेट के जरिए भी जानकारी दी जा रही है।"
>
> **–पी.के.अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

(साभार : आई नेक्स्ट, 01.12.2013)

बैंक लेंगे लिखे हुए नोट

अगर नोटों पर कुछ लिखा है या उन पर रंग लगा है तो चिंता की बात नहीं है। ऐसे नोट फिलहाल प्रचलन में रहेंगे, बैंक और कारोबारी इस तरह के नोट स्वीकार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें थीं कि 1जनवरी 2014 से कुछ लिखा होने या पेन के निशान होने पर नोटों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा. केसी चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल लिखे नोट चलन में रहेंगे, लेकिन अब कोई नोट पर लिखते हुए पकड़ा गया या दोष साबित हुआ तो उसे दंडित किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नोटों पर नहीं लिखें। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे लिखे नोट स्वीकार करें और ग्राहको को लिखे नोट कतई जारी ने किए जाएं। **(साभार: बिज़नेस स्टैडर्ड, 7.12.2013)**

1 जनवरी से महंगी होंगी एलआईसी की पॉलिसीज

31 दिसंबर तक बंद होंगी 34 और पॉलिसीज, नई पॉलिसीज पर कस्टमर्स को देना होगा 3.09 परसेंट सर्विस टैक्स

अब 1 जनवरी से एलआईसी की पॉलिसीज का महंगा होना तय है। एलआईसी के हाई मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की गाइडलांइस का पालन करते हुए अपनी 34 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को 31दिसंबर तक बंद करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इन पॉलिसीज में एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी जीवन आनंद, जीवन सरल और जीवन मुधर समेत कई अन्य पॉपुलर पॉलिसीज शामिल है। इनमें से ज्यादातर पॉलिसीज 31 दिसंबर से बंद हो रही हैं, जबकि कुछ पॉलिसीज इससे पहले भी बंद हो रही है। इनकी जगह एलआईसी नई पॉलिसीज लाएगी, जिस पर पॉलिसी होल्डर्स को 3.09 परसेंट एडिशनल सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल सर्विस टैक्स एलआईसी खुद दे रही है। इससे पहले एलआईसी पिछले महीने कनवर्टिबिल टर्म एश्योरेंस, चिल्ड्रेन डेफर्ड एंडोमेंट एश्योरेंस समेत 14 पॉलिसीज बंद कर चुका है। **(साभार : आई-नेक्स्ट 2.12.2013)**

चेक बाउंस मामले के 5 तत्त्व

बैंक खाते में पर्याप्त रकम न होने के बावजूद चेक जारी करने के मामले में 5 तत्त्व निहित होते हैं और इन सभी तत्त्वों को पेश करना जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह देवेंद्र किशनलाल बनाम द्वारकेश डायमंड्स लिमिटेड मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में यह बात कही। चेक बाउंस मामलों के 5 तत्त्व इस प्रकार हैं: चेक का आहरण, बैंक में जांच-परख, बाउंस होना, आहर्ता को नोटिस देना और 15 दिनों के भीतर भुगतान न होना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये सभी कार्य एक ही क्षेत्र में संपन्न हों। ऐसा संभव है कि ये सभी कार्य अलग-अलग शहर में संपन्न हों। इस मामले में कारोबारी सौदा मुंबई में किया गया और मुंबई से ही वस्तुओं की आपूर्ति दिल्ली में की गई। चेक मुंबई में सौंपे गए लेकिन दिल्ली के बैंक में वे बाउंस हो गए। इस पर मुंबई से लीगल नोटिस जारी किया गया। मामले की शिकायत मुंबई में दर्ज कराई गई लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसके लिए सही जगह दिल्ली है। सत्र न्यायालय ने उलट फैसला दिया। लेकिन बंबई उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले को गलत ठहराते हुए सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह मामला मुंबई मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि वहां भी कुछ लेनदेन हुए थे।

(साभार: बिज़नेस स्टैडर्ड, 2.12.2013)

हर महीने मिलेगा इंट्रेस्ट

आरबीआई की पहल पर बैंक कर रहे हैं तैयारी, अकाउंटहोल्डर्स को होगा ज्यादा फायदा

अब आपको अपने बैंक अकाउंट पर पहले से कहीं ज्यादा इंट्रेस्ट मिल सकता है। आरबीआई ने बैंकों को सेविंग अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट्स पर तीन महीने से कम समय में इंट्रेस्ट देने का ऑप्शन दिया है, यानी अब आपको बैंक हर महीने इंट्रेस्ट दे सकेंगे। इससे अकाउंटहोल्डर्स को ज्यादा फायदा होगा। अब कम समय के लिए भी इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन होगा और बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट्स के लिए ज्यादा इंट्रेस्ट देंगे। दरअसल बैंक इस समय तीन महीने में इंट्रेस्ट को कैलकुलेट करके कस्टमर्स को देते हैं। अगर तीन महीने का इंट्रेस्ट 300 रुपए है तो एक महीने में 100 रुपए देने की बजाय बैंक कम रकम देते हैं। अर्ली पेमेंट के नाम पर वह इंट्रेस्ट की कुल रकम घटा देते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरे 100 रुपए देने होंगे।

(साभार : आई-नेक्स्ट 2.12.2013)

पूंजी की कमी है बड़ी बाधा

राज्य सरकार ने बैंकों से की कर्ज मुहैया कराने की मांग

बिहार सरकार ने पूंजी की कमी को राज्य के औद्योगीकरण की राह की सबसे बड़ी बाधा करार दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने बैंकों से उचित मात्रा में कर्ज मुहैया कराने की गुहार लगाई है।

लघु, छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वित्त से संबंधित मुद्दे पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआई आई) की बैठक में राज्य के विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा ने इन इकाइयों को राज्य के विकास के लिए बुनियादी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, 'ये इकाई बिहार जैसे राज्यों के लिए काफी जरूरी हैं। राज्य में अगर एमएसएमई का एक बड़ा नेटवर्क होगा, तो बिहार की तरफ बड़े निवेशक भी आएंगे। साथ ही बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में रोजगार का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता है। इस वक्त राज्य में करीब दो लाख लघु, छोटी और मझोली इकाइयां है। इनमें कुछ मिलाकर 1.941 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। हालांकि, पैसे के अभाव में इनमें से अधिकतर या तो बीमार हैं या फिर उन पर ताले लटके हैं। उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन बैंक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।'

दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने इन उद्यमों के विकास में बैंक कर्ज को बढ़ाने का आग्रह किया। सिन्हा ने कहा कि, 'आज की तारीख में एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या वित्त की है। राज्य में महज 30 फीसदी इकाइयों को ही बैंकों से कर्ज मिल पा रहा है। इस परिस्थिति में बदलाव की जरूरत है। बैंकों को उद्यमियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। तभी बिहार तरक्की की अपनी रफ्तार को कायम रख पाएगा। दूसरी तरफ, इस उद्यमियों को भी अपने रवैये में बदलाव की जरूरत है। उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप खुद को बदलना चाहिए। साथ ही, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपनी जागरूकता में इजाफा करना चाहिए। तभी वे इनका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा, उन्हें तकनीकी रूप से भी खुद को विकसित करना चाहिए।'

हालांकि, बैंकों के मुताबिक इस बारे में उन्हें राज्य सरकार और कारोबारी संगठनों का साथ चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (बिहार-झारखंड) राकेश शर्मा ने कहा कि, 'बिहार में कर्ज की स्थिति वाकई काफी खराब है। राज्य का कर्ज जमा अनुपात महज 43 फीसदी का है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 80 फीसदी का है। वहीं लघु, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए वित्त की स्थिति तो और खराब है। इस बारे में बदलाव की जरूरत है। हालांकि इस बारे में पहले बुनियादी ढांचे में विकास, तकनीक और प्रशासनिक सुविधाओं की पहुंच में इजाफे की जरूरत है। साथ ही, ज्यादा कर्ज के बारे में राज्य सरकार, बैंक और कारोबारी संगठनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए।' **(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.12.2013)**

बियाडा ने बदली जमीन आवंटन की नीति

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने निवेशकों को जमीन आवंटित करने को अपनी नीति में परिवर्तन किया है। अब निवेशकों की मांग के अनुसार सीधे जमीन आवंटित करने की बजाय उपलब्ध जमीन को छह विभिन्न श्रेणियों में बांट कर अलग-अलग साइज के प्लाट बनाए जाएंगे। इनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और उस आधार पर निवेशकों से आवेदन लिए जाएंगे। 50 करोड़ या इससे अधिक राशि निवेश करने वालों को आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी।

सरकार ने जमीन आवंटन की नीति में यह बदलाव बियाडा एक्ट-1974 की धारा 14(ई) में निहित प्रावधान के तहत किया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जमीन की बढ़ती मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। जमीन की उपलब्धता के संबंध में जानकारी को वेबसाइट पर हर माह के अंतिम दिन अपडेट किया जाएगा। यह प्रावधान भी किया गया है कि जमीन उपलब्ध रहने पर ही निवेशकों से आवेदन लिए जाएंगे।

पिछले आठ सालों में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के करीब 700 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। परन्तु अब तक करीब 10 हजार करोड़ का ही प्रदेश में निवेश हो सका है। एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) सहित कई औद्योगिक संगठनों का मानना है कि जमीन की समस्या के कारण निवेशक बिहार की ओर रुख नहीं कर पा रहे हैं।

इस समस्या को देखकर ही बियाडा ने आवंटन की नीति में बदलाव किया है। इससे पहले 'एग्जिट पालिसी' लागू की गई थी। जिसके तहत अपनी इकाई नहीं लगाने वालों एवं बीमार या बंद इकाई के मालिकों से आवंटित जमीन वापस मांगी गई थी। परन्तु यह नीति विफल रही और मात्र 10 निवेशकों ने ही आवंटित जमीन वापस कर देने की अर्जी दी।

रकबे के आधार पर प्लाट की श्रेणी	
1. 0.25	एकड़ तक
2. 0.25 से 0.50	एकड़ तक
3. 0.52 से 1.00	एकड़ तक
4. 1.00 से 2.00	एकड़ तक
5. 2.00 से 5.00	एकड़ तक
6. 5.00	एकड़ से अधिक

वितरण का पैमाना : "उपलब्ध जमीन का 20 प्रतिशत 0.25 एकड़ तक के साइज में बंटेगा। फिर अन्य 20 प्रतिशत जमीन को 2 एकड़ से अधिक के प्लाट में बांट जाएगा। शेष 60 प्रतिशत जमीन को मांग के अनुसार तय छह श्रेणियों में बांट कर प्लाट बनाए जाएंगें।" **(साभार: दैनिक जागरण, 3.12.2013)**

50 करोड़ से अधिक निवेश पर जमीन में प्राथमिकता

रोजगार और निवेश के आधार पर बियाडा आवंटित करेगा भूखंड, चार पैमाना तय कर निर्धारित किये गये अंक

बड़े उद्योग लगाने वालों को जमीन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योग को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है।

राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया में भूखंड आवंटित करने को फार्मूला तय कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार निवेश का आकार और रोजगार की संख्या के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को टॉप लिस्ट में रखा जाएगा।

सरकार ने भूखंड आवंटन के लिए चार पैमाना तय किया है। सभी क्राइटेरिया के लिए अंक निर्धारित किये गये हैं। सबसे अधिक तीस-तीस अंक निवेश के आकार और रोजगार की अनुमानित संख्या के लिए तय है। दूसरे पायदान पर निवेशकों का अनुभव है। इसके लिए दस से बीस अंक रखे गये हैं। इसके अलावा प्रथमिकता क्षेत्र का उद्योग, इको फ्रेंडली उद्योग और आवेदन की तारीख के लिए दस-दस अंक रखे गये हैं।

प्रधान सचिव नवीन वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार बियाडा की निदेशक परिषद इन्हीं अंकों के आधार पर जमीन आवंटन तय करेगी। कमेटी पहले क्वालिफाइंग अंक भी तय कर सकती है। लेकिन इसकी सूचना आवेदकों को पहले देनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो क्वालिफाइंग अंक से कम नम्बर लाने वाले आवेदक पर कोई विचार नहीं होगा। आवंटन की अद्यतन स्थिति हर महीने साइट पर जारी कर दी जाएगी। 31 अक्टूबर तक के पेंडिंग आवेदनों को निपटारा हर हाल में कर लिया जाएगा।

विदेश में कार्ड से नहीं होगा मनमाना खर्च

बैंकों ने तय की क्रेडिट-डेबिट कार्ड से विदेश में खर्च की सीमा
धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बैंकों ने उठाया कदम

अब आप विदेश में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से मनमाना खर्च नहीं कर पाएंगे। दरअसल बैंकों ने विदेश में कार्ड से परिचालन की सीमाएं तय करनी शुरू कर दी हैं। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगना है। इन दिनों डेबिट या क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल होने की आशंका खासी बढ़ गई है। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.12.2013)**

फूड सेफ्टी के बीस अफसरों के बूते कैसे होगा काम

अनदेखी

- अगमकुआं स्थित सूबे की एकमात्र खाद्य प्रयोगशाला दो साल से है बंद
- सूबे में जरूरत है 600 फूड सेफ्टी अधिकारियों की

सूबे में लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने के बाद भी महज 20 फूड सेफ्टी अफसरों से काम चलाया जा रहा है। जबकि कम से कम 600 फूड सेफ्टी अफसरों की जरूरत है। पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में लगभग एक हजार फूड सेफ्टी अफसर काम कर रहे हैं। घटिया मिलावटी, नकली माल की बिक्री, भ्रामक प्रचार के मामले में दस लाख रुपए तक का जुर्माना है। वहीं अगर किसी की मौत मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से होती है तो उसे उम्रकैद तथा 10 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है।

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक अधिकारी सह फूड सेफ्टी कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट को प्रभावी बनाने की योजना बनाई गई है। प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने एक करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित किया है। इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रयोगशाला को विकसित कर अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। **(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 2.12.2013)**

बिहार में लगे दवा उत्पादन की फैक्ट्री

ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स फेडरेशन के 15वें सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "राज्य में है बदलाव की बयार"

विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बिहार में बदलाव की बयार है। सरकार उद्यमियों की मदद कर रही है। ऐसे में बिहार में दवाओं की फैक्ट्री लगायी जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाओं का उत्पादन शुरू किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री चौधरी ने 30.11.2013 को ये बातें ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स फेडरेशन के 15वें सम्मेलन में कही।

सम्मेलन में विषय प्रवेश कराते हुए एल्केम के बीएन सिंह ने कहा कि बिहार में दवा उद्योग के लिए संभावनाएं हैं। लेकिन जमीन प्राप्त करने में कठिनाई और बिजली संकट से उद्यमी बिहार आने से हिचक रहे हैं। दवा उत्पादकों को आकर्षित करने के लिए सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दमन, गोवा आदि कई राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होने बिहार सरकार को दवा उद्योग के विकास के लिए एक नीति बनाने व सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.12.2013)**

सूबे में आइटीसी लगायेगी फूड प्रोसेसिंग उद्योग

आइटीसी लिमिटेड कंपनी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। कंपनी के अधिकारी ने इसके लिए भोजपुर व आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया व उपलब्ध भूमि का जायजा लिया है। **(साभार : प्रभात खबर, 2.12.2013)**

सारण की मढ़ौरा चीनी मिल होगी नीलाम

बीआईएफआर ने आईएफसीआई को सौंपा मामला

औद्योगिक नगरी मढ़ौरा की एशिया प्रसिद्ध सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री और ख्यातिप्राप्त चॉकलेट फैक्ट्री के नीलाम होने के बाद अब मढ़ौरा की चीनी मिल भी नीलामी की प्रक्रिया में आ गई है। 1998 से 2010 के बीच बीआईएफआर (बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीयल फाइनेंसियल रीकंस्ट्रक्शन) ने कई बार इस मिल को किसान-मजदूर हित में चालू कराने का प्रयास किया पर उसे सफलता नहीं मिल सकी। लिहाजा बीआईएफआर ने सरफेसी अधिनियम 2001 के तहत इस मिल को ऑपरेटिंग एजेन्सी आईएफसीआई (इंडस्टीयल फाईनेंसीयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को सौंप दिया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.12.2013)**

यूनिट चाहे जितना हो, लगेगी एक रेट

जोर का झटका,
बिजली कंपनी ने विनियामक आयोग को दिये प्रस्ताव में यूनिट का स्लैब हटाया

अगर बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग की हरी झंडी मिल गयी तो अगले साल से चाहे जितनी भी बिजली खपत करें, एक रेट के अनुसार ही बिल का भुगतान करना होगा। एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होनेवाली इस प्रस्तावित दर में बिजली कंपनी ने यूनिट का स्लैब हटा दिया है। गांव हो या शहर, यूनिट के बजाय सभी के लिए एक समान बिजली बिल वसूलने का प्रस्ताव दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान से दो से चार गुना अधिक बिल देना पड़ सकता है।

टैरिफ एक नजर में

ग्रामीण इलाका	
यूनिट	**वर्तमान दर**
प्रथम 50 यूनिट	2.00 रुपये
51-100 यूनिट	2.30 रुपये
100 यूनिट से अधिक	2.70 रुपये
प्रस्तावित	**3.50 रुपये**

एचटी इंडस्ट्री	
11/6.6 केवी	5.70 रुपये
33 केवी	5.50 रुपये
132 केवी	5.40 रुपये
33/11 केवी	3.10 रुपये
प्रस्तावित	**7.75 रुपये**

(सभी दर प्रति यूनिट है)

शहरी क्षेत्र	
यूनिट	**वर्तमान दर**
1-100 यूनिट	2.85 रुपये
101-200 यूनिट	3.50 रुपये
201-300 यूनिट	4.20 रुपये
300 यूनिट से अधिक	5.30 रुपये
प्रस्तावित	**6.50 रुपये**

खेती के लिए	
एक एचपी ग्रामीण	120 रुपये
एक एचपी शहरी	160 रुपये
प्रस्तावित ग्रामीण	**265 रुपये**
शहर	**400 रुपये**

(यह मासिक शुल्क है)

एलटी इंडस्ट्री	
सिगंल फेज	5.35 रुपये
डबल फेज	5.70 रुपये
प्रस्तावित	**7.75 रुपये**

किस वर्ष कितना बढ़ा बिल	
2010	पांच पैसा
2011	19 फीसदी
2012	12.1 फीसदी
2013	6.9 फीसदी

कुटीर ज्योति (ग्रामीण)

- बिना मीटर के 75 यूनिट तक : वर्तमान 55 रुपये – प्रस्तावित 200 रुपये
- मीटर में 75 यूनिट तक : वर्तमान 160 रुपये – प्रस्तावित 270 रुपये

शहरी इलाके में

- वर्तमान : 195 रुपये महीना प्रस्तावित : 300 रुपये महीना
- गांव में 3.50 रुपये तो शहरी क्षेत्र के लिए 6.50 रुपये यूनिट बिजली
- इंड़स्ट्री के लिए 7.75 रुपये प्रति यूनिट **(विस्तृत : प्रभात खबर, 6.12.2013)**

मुख्यमंत्री करें हस्तक्षेप

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं तो विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि पर पर रोक लगाएं। पड़ोसी राज्यों के विद्युत टेरिफ का अध्यक्षन करा लें। विद्युत कंपनी मनमाने तरीके से प्रस्ताव देकर घरेलू, कामर्शियल व उद्योगपतियों को परेशान कर रहीं हैं। विद्युत कंपनी घाटे की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ लाद रही है। राज्य में बिजली की न्यूनतम दर 2.85 रूपये प्रति यूनिट है। जिसे बढ़ाकर 6.50 रुपये करने का प्रस्ताव है । इसका हर स्तर पर विरोध होगा। व्यवसाय करने वाले इस महंगी बिजली का कैसे उपभोग करेंगे? **पी.के.अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज

साभार : दैनिक जागरण, 17.12.2013

Chamber irked at city power outages

CHAMBER PRESIDENT SAID LARGE PARTS OF PATNA CITY WAS ENVELOPED IN DARKNESS IN THE NIGHT DUE TO REGULAR SHUTDOWNS

Bihar Chamber of Commerce on Tuesday sought the intervention of Chief Minister Nitish Kumar to check power outages in Patna City in the night hours causing much inconvenience to the residents of the area. The area is one of the biggest wholesale market in the state.

President of the Chamber, P. K. Agarwal said, large parts of Patna city is enveloped in darkness in the night hours due to regular shutdowns being done on the directive of Bihar State power Holding Company Limited, to check power theft. Powers shutdowns are being enforced from Marufganj and Khajekelan feeders between 11 pm to 5 am.

"Taking steps to prevent power theft is good. But why should innocent people, Who regularly pay their energy bills, suffer due to power theft by a section of factories," he wondered.

He said the officials of Patna Electric Supply Undertaking (PESU) should check power theft in factories and nab those involved in such illegal practices.

The president also demanded, that the Chief Minister should look into the matter and direct the PESU officials to take remedial PESU officials to take remedial steps, so that residents of the area do not face inconveniences.

The decision to execute shutdowns was taken at a meeting of senior power officials last Wednesday. Power supply has been disturbed since Wednesday night from 11 pm to 5 am on the pretext that many factories running till late in the night refuse to pay power bill as per consumption.

(Source : H. T. 11.12.2013)

बिहार में पेट्रोल और डीजल की खपत स्थिर

राज्य में पेट्रोल व डीजल की खपत स्थिर हो गयी है। खपत नहीं बढ़ने का असर सरकार के खजाने पर दिखने लगा है। पेट्रोल से करीब 22 फीसदी और डीजल से करीब 18 फीसदी टैक्स मिलता है। लेकिन इसकी खपत में वृद्धि नहीं हुई है। वाणिज्यकर विभाग के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आंरभिक आठ महीने में जो कर राजस्व की प्रगति रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबिक पेट्रोल-डीजल में ग्रोथ नहीं हैं।

40 फीसदी	वाणिज्यकर प्राप्त होता है पेट्रोल-डीजल से ही
7100 करोड़	की वसूली चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीने में
13,643	करोड़ रुपये विभाग का सरकारी लक्ष्य
16,275	करोड़ रूपये विभाग का आंतरिक लक्ष्य

वर्ष	टैक्स वसूली
2005-06	2389 करोड़ रुपये
2006-07	2950 करोड़ रुपये
2007-08	3633 करोड़ रुपये
2008-09	4469 करोड़ रुपये
2009-10	5532 करोड़ रुपये

वर्ष	टैक्स वसूली
2010-11	6685 करोड़ रुपये
2011-12	8457 करोड़ रुपये
2012-13	10911 करोड़ रुपये
2013-14	7100 करोड़ रूपये

(आंकड़े नवंबर के अंतिम सप्ताह तक है)

2015 में चमकेगा पूरा बिहार

बिहार सरकार के मुताबिक 2015 तक राज्य को 5,300 मेगावॉट बिजली मिलने लगेगी, जो उसकी बिजली समस्याओं को दूर कर देगी। साथ ही, राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में बिहार सरकार के 2015 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ने के वादे को फिर से दोहराया।

यादव ने राज्य विधानसभा में अपने विभाग की 724.67 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पर कहा कि बिहार को अगले दो साल में दोगुनी से ज्यादा बिजली मिलने लगेगी, जो राज्य में बिजली की समस्या को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, 'राज्य में बिजली के मामले में समस्या का दौर खत्म हो गया है। अब सुधार का वक्त है और अगले वित्त वर्ष से यह सुधार दिखने भी लगेगा। आज हमें करीब 2, 000 मेगावॉट बिजली मिल रही है। यह 2005-06 में मिल रही बिजली की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। अगले साल अगस्त तक हमारे पास बिजली की उपलब्धता बढ़कर 2.600 मेगावॉट हो जाएगी, जबकि अगस्त, 2015 तक यह बढ़कर 5,300 मेगावॉट हो जाएगी।'

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.12.2013)

Coal trips mega energy plan for Banka

Central Electricity, Authority, a nodal agency under the power ministry advising the government on issues relating to power, has written a letter for coal allotment for setting up a 4,000 MW ultra mega power project in Banka district. ***(Details : The Telegraph, 6.12.2013)***

वेटिंग टिकट पर रिटायरिंग रूम की सुविधा नहीं

वेटिंग टिकट पर सफर कर यदि अन्य स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम बुक कराना चाहते हैं तो आपको मायूसी हाथ लगेगी। क्योंकि नियमानुसार रेलवे में वेटिंग टिकट पर रेल परिसर में कमरे बुक नहीं होंगे।

इसके लिए कंफर्म टिकट का होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं जनरल टिकट पर सफर कर रहे यात्री भी अन्य स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम में नहीं ठहर सकते। पटना जंक्शन पर यह जानकारी रेल मंडल के वाणिज्य अधिकारियों ने रेलकर्मियों को दी। पटना जंक्शन पर ऑनलाइन रिटायारिंग रूम की शुरूआत प्रायोगिक तौर पर की गई। इस मौके पर नई दिल्ली से आए इंजीनियरों ने रेलकर्मियों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया।

इन सबके बीच अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए एक सुविधा होगी। यात्रा की शुरुआत वाले स्टेशन पर तो वे कमरे बुक करा सकेंगे लेकिन अन्य स्टेशनों पर कमरे ऑनलाइन बुक नहीं करा पाएंगे। हर तरह के यात्रियों को रिटायरिंग रूम या डोरमेट्री की बुकिंग कराते समय फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मतलब साफ है कि जिस फोटो पहचान पत्र से रिटायरिग रूम की बुकिंग होगी, उसे बिना दिखाए कमरे नहीं मिलेंगे । रेलवे यात्रा पास रखने वाले यात्री भी ऑनलाइन रिंटायरिंग रूम की बुकिंग करा सकेंगे। पूर्व मध्य रेल की योजना फिलहाल सात स्टेशनों पर (पटना, राजेन्द्रनगर, गया, धनबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुगलसराय) की है।

जिनके नाम पर टिकट, उन्हीं को मिलेगा कमरा : पूरे मामले में एक पेंच यह भी है। जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट है, कमरा उसी को मिलेगा। अन्य लोगों को उस कमरे में रहने की इजाजत नहीं होगी। ड्रोरमेट्री के मामले में भी नियम समान होंगे।

अभी ठीक से काम नहीं कर रहा पूरा सिस्टम : जिस सिस्टम की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई, वह अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तकनीकी गड़बड़ी लगातार जारी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2013)**

डी-मैट खाते पर अब नहीं देना होगा स्टांप शुल्क

बाजार नियामक सेबी के नए दिशा-निर्देश के तहत निवेशकों को डीमैट खाते के लिए समझौता पर जुड़े स्टांप शुल्क देने के जरूरत नहीं होगी। इस कदम से प्रतिभूति बाजार के साथ पंजीकरण के दौरान निवेशकों को लागत बचाने में मदद मिलेगी।

बाजार नियामक ने हाल ही में डिपॉजिटरी भागीदार तथा डी-मैट खाताधारक के बीच होने वाले समझौते के लिए अधिकार और दायित्व शीर्षक से सरल और साझा दस्तावेज पेश किया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लि. (सीडीएसएल) के बयान के अनुसार डिपॉजिटरी भागीदार तथा डी-मैट खाताधारक के बीच होने वाले समझौते पर अब कोई स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। सीडीएसएल के अनुसार इस कदम से नए डी-मैट खाताधारकों को लाभ होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2013)**

भविष्य निधि संगठन के अंशदान में बढ़ोतरी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने नवम्बर 2013 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई स्थापनाओं से अंशदान की कुल प्राप्ति में असाधारण वृद्धि हुई है।

3,31,000 स्थापनाओं से 60.87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो पिछले माह की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगभग 80 लाख दावों का निपटरा किया। माह के दौरान 10.82 लाख का निपटरा किया गया। इनमें से 98 प्रतिशत दावों को 30 दिन की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर निपटाया गया। 93 प्रतिशत से अधिक का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर 30 प्रतिशत दावों का निपटरा 3 दिनों के भीतर किया गया। साथ ही 62 प्रतिशत का निपटारा 10 दिनों के भीतर किया गया।

देश के कई कार्यालय जैसे उदयपुर, लक्ष्मी नगर, आगरा, ग्वालियर जबलपुर, उज्जैन में 90 प्रतिशत दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि नवम्बर माह में 13, 672 शिकायतों का निपटारा किया गया। इसी माह के दौरान शिकायतों की संख्या घटकर 13000 रह गई। नवम्बर माह के अंत तक 4,984 शिकायतें लंबित थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.12.2013)**

हर LPG Consumer है insured

LPG से हादसा होने पर कर सकते हैं 40 लाख का claim

क्या आपको पता है कि जिस दिन आपने गैस कनेक्शन लिया, उसी दिन आप 40 लाख रुपए के इंश्योरेंस के हकदार हो जाते हैं? हर दस में से आठ एलपीजी कंज्यूमर्स को यह पता नहीं होता है कि गैस कनेक्शन लेते ही वे इंश्योर्ड हो जाते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग एलपीजी कंपनीज का एलपीजी कनेक्शन लेते ही आप लगभग 40 लाख रुपए तक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हकदार बन जाते हैं। यानी, अगर गैस सिलिंडर से कोई हादसा होता है, तो कन्सर्न्ड एलपीजी कंपनी पर थर्ड पार्टी क्लेम बनता है। यह इंश्योरेंस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिर्टड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी कस्टमर्स का होता है।

FOR YOUR INTORMALLON

क्या है pollcy?

पॉलिसी का नाम: पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी में

किन situations में valid है policy?

रजिस्टर्ड कंज्युमर्स के रजिस्टर्ड निवास पर एलपीजी से होनेवाले किसी भी हादसे की सिचुएशन में।

कंज्यूमर द्वारा गैस सिलिंडर को गोदाम से घर ले जाते समय एलपीजी से होनेवाले हादसे की सिचुएशन में।

मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स पर लगे रेटिकुलेटेड सप्लाई सिस्टम से हादसा होने पर।

किस condition में कितना claim?

एलपीजी से हादसा होने पर 40 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, सामूहिक दुर्घटना होने पर क्लेम 50 लाख रुपए तक का हो सकता है।

एलपीजी से हादसा होने पर प्रॉपर्टी के नुकसान पर मैक्सिमम एक लाख रुपय का क्लेम हो सकता है।

एलपीजी से होनेवाली व्यक्तिगत दुर्घटना पर मैक्सिमम एक लाख रुपए और इंस्टेंट हेल्प के रूप में 25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति.

एलपीजी से होनेवाली दुर्घटना में मौत होने पर दस लाख रुपए प्रति व्यक्ति।

एलपीजी से होनेवाली दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति की विकलांगता या फिजिकल डैमेज होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तय कॉम्पनसेशन।

इन ducuments का होना जरूरी

दुर्घटना की स्थिति में क्लेम के लिए कंज्यूमर को डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कोरोनर्स और इन्क्वेस्ट रिपोर्ट में से जो रिपोर्ट लागू हो, वह देना होगा।

मेडिकल बिल और ट्रीटमेंट कॉस्ट का बिल देना होगा।

पुलिस रिपोर्ट देनी होगी।

यह कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुर्घटना की स्थिति में वह एक्सीडेंट की जानकारी संबंधित गैस कंपनी, ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, नियरेस्ट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट विभाग को देगा। **(विस्तृत : आई नेक्स्ट 1.12.2013)**

बढ़ेंगे 'तीस हजारी' अदालतों के अधिकार

राज्य सरकार तीस हजारी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने जा रही है। मुंसिफ (सिविल जज यूनियर ग्रेड) की अधिकारिता सीमा तीस हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख तथा सब जज (सिविल जज सीनियर ग्रेड) की अधिकारिता सीमा को दो लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जा रहा है। यानी ये अदालतें अब क्रमश: डेढ़ लाख तथा दस लाख रुपये तक वाले मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। अभी तक राज्यभर के मुंसिफ कोर्ट में तीस हजार रुपये के दीवानी मामलों की ही सुनवाई की जाती है। इसलिए इन्हें तीस हजारी कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए राज्य सरकार 1887 के कानून बिहार, आगरा, असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम में संशोधन के लिए बिहार संशोधन अधिनियम लाने जा रही है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.12.2013)

बिहार में रहेगा कौशल विकास पर जोर

बिहार सरकार ने अब राज्य में कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक इसके अलावा राज्य में नई सोच के विकास के लिए उसने कई केंद्रों के विकास का भी फैसला किया हैं। साथ ही इसके तहत वह प्रशासनिक सुधारों का भी सहारा लेगी।

राज्य सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, 2013 में बिहार के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को नैनो तकनीक के केंद्र के रूप में विकासत करने का भी ऐलान किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन फिक्की और अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया था। प्रकाश ने कहा, 'राज्य सरकार नई सोच की अहमियत को समझती है। आज के दौर में जब विकास की दर तेजी से नीचे आ रही है, ऐसे में रचनात्मकता और अविष्कारों के जरिये ही हम विकास की दौर में बने रह सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार इस बारे में काफी ध्यान दे रही है।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई सोच को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट इनोवेशन काउंसिल का गठन किया है।

प्रकाश ने बताया, 'इस बाबत हमने मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर काम करने का फैसला लिया है। जनता, कार्यक्षेत्र (डोमेन) और इलाका। सबसे पहले तो हम अपने स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधार रहे हैं। इसमें भी हमारा सबसे ज्यादा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर है। इसके साथ-साथ हम कार्यक्षेत्र पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नई सोच के जरिये बड़े बदलाव लाए है। इसके लिए बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर जीविका नामक संस्था बनाई है। साथ ही, हम जिला स्तर पर भी इस बारे में काम कर रहे हैं।' राज्य सरकार ने वित्तीय समावेश, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी 500 सेवाओं की सूची बनाई है, जिसमें उसे नई सोच की जरूरत है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 6.12.2013)

प्रश्नों का ऑनलाइन भी मिलेगा जवाब

विधान सभा सचिवालय ने विधायकों के लिए प्रश्न पूछने और उनका जवाब हासिल करने के लिए ऑनलाइन सूचना प्रणाली शुरू की है। इसके लिए http://www.blaqrms. bih.nic.in साइट विकसित की गई है। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही से लोगों को वाकिफ कराने के लिए वेबकास्ट सेवा शुरू की गई है। इसका नाम webcast.gov.in/biharvs है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सत्र शुरू होने के बाद अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में दी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.12.2013)**

पर्यटन क्षेत्र का स्वर्ण भंडार है बिहार

पर्यटन विशेषज्ञ एसएस वर्मन मानते हैं कि बिहार पर्यटन का स्वर्ण भंडार है, लेकिन इसका समुचित दोहन तभी संभव है, जब पर्यटन स्थलों की अच्छी सफाई कराई जाए, वहां पर्यटकों को रोकने के लिए संसाधन विकसित किए जाएं और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। वर्मन ने कहा कि कई विदेशी पर्यटक यहां के गांव में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। राज्य सरकार अलग-अलग विशेषता रखने वाले गांवों का चयन कर उन्हें विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दे सकती है। पर्यटन राजस्व संग्रह का एक बड़ा साधन बन सकता है। उनका मानना है कि बिहार का लिट्टी-चोखा इंटरनेशनल व्यंजन बन सकता है। भारत पर्यटन के क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड) व अगरतला निवासी वर्मन ने विशेष बातचीत में कहा कि बिहार के लिट्टी-चोखा को देशी-विदेशी पर्यटक काफी पसंद करते हैं। यह काफी स्वादिष्ट और सुरक्षित व्यंजन है।

पर्यटन का स्वर्ण भंडार : वर्मन बताते हैं कि बिहार पर्यटन के मामले में भारत का स्वर्ण भंडार है। यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं है। धार्मिक ऐतिहासिक, प्राकृतिक रूप से बिहार के पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें यहां रोकने के लिए स्टार कटेगरी के होटलों की कमी को दूर करना होगा। नदी पर्यटन यानी क्रूज को बढ़ावा देना होगा। फ्लोटिंग रेस्तरां को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना होगा। गया और बोधगया हिंदू तथा बौद्ध पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करता है। राज्य में जैन, सिख एवं मुस्लिम यात्रियों को अकर्षण परोसने वाले रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत है। प्रयोग सफल हो तो देशभर में ऐसे रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में मात्र बिहारी व्यंजन एवं खाद्य-पदार्थ परोसने की व्यवस्था हो।

वर्मन ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। कई विदेशी पर्यटक यहां के गांव में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। राज्य सरकार अलग-अलग विशेषता रखाने वाले गांवों का चयन कर उन्हें विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दे सकती है। पर्यटन राजस्व संग्रह का एक बड़ा साधन बन सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 6.12.2013)

गंगा किनारे ईंट भट्ठों पर लगेगी पाबंदी

गंगा को प्रदूषण से बचाने की कवायद

खनन विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने कहा कि गंगा नदी के किनारे संचालित ईंट भट्ठों पर रोक लगेगी। साथ ही नदी किनारे नए ईंट भट्ठों के लगाने पर भी रोक लगेगी, ताकि उसका जल प्रदूषित न हो।

रोहतास पहाड़ी की स्थिति काफी दयनीय है। रोहतास पहाडी के उत्खनन के लिए अब कोई नया लाइसेंस नहीं मिलेगा और न ही पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

सख्ती : • रोहतास पहाड़ी के उत्खनन के लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस • अवैध उत्खनन में संलिप्त अफसरी के खिलाफ हो रही कार्रवाई

अबतक हुई कार्रवाई : • **633** एफआईआर दर्ज की गई वित्तीय वर्ष 2012-13 में • **84** अवैध उत्खननकर्ता किए गए गिरफ्तार • **705** अवैध उत्खननकर्ता पर दर्ज हुई एफआईआर।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.12.2013)

ई-मेल आईडी दें, नहीं तो कारोबार प्रभावित

वाणिज्य कर विभाग ने नए डीलरों के साथ-साथ पुराने डीलरों को अपना ई-मेल आईडी देना अनिवार्य कर दिया है। जो व्यापारी अपनी ई-मेल आईडी संबंधित अंचल प्रभारी को नहीं देंगे उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है।

इस बारे में वाणिज्य कर विभाग ने सभी रजिस्टर्ड डीलरों को नोटिस भेज दिया है। हालांकि लगभग छह माह पूर्व विभाग ने सभी नए डीलरों के लिए ईमेल आईडी आनिवार्य कर दिया था। बिना ईमेल आईडी के नया रजिस्ट्रोशन नहीं होगा। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग में सभी काम ऑनलाइन शुरू हो गया है। इनमें ई-रिटर्न, ई-पेमेंट, रोड परमिट साहित विभिाग के सभी प्रकार के प्रपत्र ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में व्यापारियों को नोटिस भी उनके ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी व्यापारियों को अब अपना ई-मेल आईडी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक केवल नए डीलरों को ही ई-मेल आईडी देना अनिवार्य था।

वैसे बड़ी-बडी कंपनियों से वाणिज्य कर विभाग ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़े-बड़े शहरों के मुख्य बाजारों में सहायता केन्द्र खोलने का प्लान किया है, हालांकि कुछ जगहों पर सहायता केन्द्र खोले जा चुके हैं, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.12.2013)

वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को दिया मौका

दस हजार दें, 40 लाख तक करें कारोबार

सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए योजना बनाई है कि वे मात्र 10 हजार टैक्स देकर सालाना 40 लाख रुपये तक का कारोबार कर सकते हैं। अगर व्यापारी चाहें तो इस टैक्स को दो किस्तों में दे सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यापरी खुद रजिस्ट्रेशन लेने आता है तो उसके द्वारा पूर्व में किए गए कारोबार का कोई हिसाब-किताब नहीं लिया जएगा। इस योजना का नाम है लघु करदाता योजना।

किनको मिलेगी सुविधा

वैसे व्यापारी जो सालाना 40 लाख रुपये से कम का कारोबार करते हैं उनको भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे व्यापारियों को राज्य के अंदर ही कारोबार करना होगा। अगर व्यापारी राज्य के बाहर से सामान मंगाकर या बाहर भेजकर कारोबार करता है तो वह योजना से बाहर हो जाएगा।

क्या-क्या मिलेगी सुविधा

• इस स्कीम में आने वाले व्यापारियों को साल में एक ही बार रिटर्न दाखिल करना होगा • व्यापारियों की ऑडिट व स्क्रूटिनी नहीं होगी • विभाग के वरीय अधिकारी के आदेश पर ही किसी प्रकार का कार्रवाई होगी • छापेमारी भी वाणिज्य कर आयुक्त या वरीय पदाधिकारी के आदेश पर होगी।

पूर्व की योजना से होगा फायदा

राज्य सरकार के पहले के आदेश के तहत जो व्यापारी समाहितीकरण (कंपाउंडिंग) टैक्स के अन्तर्गत आते थे, उन्हें वार्षिक कुल बिक्री का 0.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, यानी यदि किसी व्यापारी का जीटीओ 40 लाख रुपये हो तो उनका कर दायित्व अधिकतम 20 हजार रुपये बनता था। परंतु अब व्यापारी 10 हजार रूपये देकर इस योजना का लाभ ले सकता है।

क्या हो सकती है कार्रवाई

अगर कोई व्यापारी इस योजना में आने के बाद नियम का पालन नहीं करता है तो विभाग न सिर्फ पेनाल्टी कार्रवाई करेगा बल्कि जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उधर व्यापारियों ने कहा कि कहने के लिए तो यह योजना 10 हजार की है, लेकिन इस योजना में आने के लिए व्यापारियों को 20 हजार रुपये देने पड़ते है। पहले व्यापारियों को 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन के समय देना पड़ता है फिर 10 हजार टैक्स के रूप में देना पड़ता है। पहले दिये गये 10 हजार की न तो भरपाई होती है और न ही विभाग की ओर से इस रुपये पर व्यापारियों को कोई

fssai भारती खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राकिरण

सभी कार्यरत खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए लाइसेन्स/पंजीकरण
प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी, 2014* है

खाद्य कारोबारकर्ता कौन हैं?

• सभी खाद्य निर्माता, पैकर्स, थोक विक्रेता, वितरक एवं विक्रेता • सभी खाद्य आयातक • सभी 100% खाद्य निर्यात करने वाली इकाइयाँ • सभी होटल, रेस्टोरन्ट्स, क्लब्स/कैन्टीन्स, केटरर्स इत्यादि • सभी खाद्य ट्रांसपोर्टर्स/खाद्य भण्डारण प्रतिष्ठान • सभी खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयां (जिनमें पुन: वाले भी शामिल हैं।

जल्दी कीजिए....
लाइसेन्स/पंजीकरण प्रदान करने के लिए
कम से कम 2 महीने तक का समय लग सकता है...

आवेदन दीजिये!

खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण अधिनियम, 2011) पढ़े और समझें।

लाइसेंस के बिना संचालन करने पर
रुपये 5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह तक कारावास का दंड
***इस तिथि को आगे नहीं बढाया जाएगा**

अधिक जानकारी के लिये भा.खा.स.मा. प्रा. की वेबसाईट **fssai.gov.In** पर लॉग ऑन करें या शुल्क-मुक्त हेल्पलाइन 1800112100 पर फोने करें।
ऑनलाइन, लाइसेन्स के लिये **licensing@fssai.gov.in** पर सप्पर्क करें

(साभार : आज, 16.12.2013)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296